

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस

अपील संख्या- 01/2022

श्रीमती सरिता कंवर पत्नी श्री पवन सिंह जाति राजपूत उम्र 32 साल निवासी
ढाणी भूकरी तन् पपुरना तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.....अपीलाण्ट

ब-ना-म

सरपंच ग्राम पंचायत पपुरना तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.....रेस्पोंडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 09.05.2022 नामा0 सं. 812

ग्राम पपुरना, ग्राम पंचायत पपुरना तहसील खेतड़ी

उपस्थित :- श्री गिरधारी लाल सैनी एडवोकेट – अपीलाण्ट की ओर से

:: निर्णय ::

दिनांक:- 21-06-2022

अपीलाण्ट की ओर से अपील के आधारों से पूर्व प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने जमाबन्दी संवत् 2075-2078 के खाता सं. 55 के खसरा नंबर 2797 रकबा 0.17 है., ख.नं. 2811 रकबा 0.23 है., ख.नं. 2812 रकबा 0.24 है., ख.नं. 2813 रकबा 0.04 है., ख.नं. 2815 रकबा 0.09 है., ख.नं. 2816 रकबा 0.06 है., ख.नं. 2817 रकबा 0.10 है., ख.नं. 2818 रकबा 0.09 है., ख.नं. 2830 रकबा 0.21 है., ख.नं. 2831 रकबा 0.17 है., ख.नं. 2832 रकबा 0.14 है., ख.नं. 2833 रकबा 0.25 है., ख.नं. 2834 रकबा 0.25 है., ख.नं. 2835 रकबा 0.09 है., ख.नं. 2836 रकबा 0.26 है., ख.नं. 2837 रकबा 0.21 है., ख.नं. 2838 रकबा 0.20 है., ख.नं. 3960/2810 रकबा 0.05 है., ख.नं. 3973/2809 रकबा 0.32 है., ख.नं. 4372/2841 रकबा 0.10 है., ख.नं. 4379/2796 रकबा 0.16 है. कुल कित्ता 21 कुल रकबा 3.43 है. में से खातेदार जगदीश सिंह पुत्र मातादीन सिंह से उसके 1/5 हिस्सा की भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 08.03.2022 को क्रय की थी और क्रय के दिन ही अपीलाण्ट ने क्रय शुदा उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया था। अपीलाण्ट के नाम से दिनांक 08.03.2022 को विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरकरण सं. 812 ग्राम पपुरना प्रक्रियाधीन था जिसमें पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का द्वारा नामांतरकरण विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज कर तस्दीक हेतु दिनांक 09.05.2022 को ग्राम पंचायत पपुरना के मीटिंग में सरपंच के समक्ष रखा तो रेस्पोंडेण्ट ने राजनैतिक दबाव में आकर उक्त नामांतरकरण को यह लिखते हुये खारिज कर दिया कि "विक्रय अस्वीकार है" जबकि रेस्पोंडेण्ट को कोई अधिकार नहीं है कि वह सक्षम अधिकारी के द्वारा तस्दीक किये गये दस्तावेज को अस्वीकार रेस्पोंडेण्ट ने बिना किसी आधार के नामांतरकरण को अस्वीकार किया है। इस अपीलाण्ट को यह अपील पेश करनी आवश्यक हुई है।



उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार कर नामांतरकरण संख्या 812 ग्राम पपुरना तहसील खेतड़ी को तहसीलदार, खेतड़ी को जांच कर पूर करने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को तलबी जारी की गई। रेस्पोंडेंट सरपच ग्राम पंचायत पपुरना की ओर से बावजूद सूचना के कोई उपस्थित नहीं आया, अतः रेस्पोंडेंट के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।


अपीलाण्ट की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में नकल नामांतरकरण सं. 812 (नामांतरकरण प्रपत्र प-21), जमाबंदी संवत् 2075-78 खाता सं. 55 ग्राम पपुरना, फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 08.03.2022 पेश किये।

बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड नामान्तरकरण सं० 812 एवं जमाबंदी संवत् 2075-2078 का अवलोकन किया गया। नामान्तरकरण सं० 812 पटवारी हल्का पपुरना द्वारा विक्रय विलेख के आधार पर पुर किया गया तथा भू०अ० निरी० खेतड़ी ने अपनी जांच में रिकार्ड का अंकन सही होना अंकित किया है, लेकिन ग्राम पंचायत पपुरना द्वारा अपने निर्णय में "बेचान अस्वीकार" किया जाता है, आदेश पारित किया गया है जो न्याय संगत नहीं है, क्योंकि भूमि के विवाद से संबंधित प्रकरण पर निर्णय लेने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। विवादित प्रकरणों का निस्तारण करने का अधिकार तहसीलदार को ही है। इस प्रकार उक्त आदेश दिनांक 09.05.2022 ग्राम पंचायत पपुरना अपास्त किए जाने योग्य है।

—: आदेश :-

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत पपुरना के नामान्तरकरण सं० 812 का आदेश दिनांक 09.05.2022 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार खेतड़ी को प्रकरण प्रति प्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनकर विधिक प्रक्रिया के अनुरूप विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तरकरण के संबंध में अपना निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 21-06-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(जय सिंह)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी